# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 12 / 2018 | 12.04.2018 | 16.01.2024 |

**अनवान**

1. शम्भूलाल पिता लक्ष्मण जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. भंवरलाल पिता किशना जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. हीरा पिता लालुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. गोपीलाल पिता भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. भैरू पिता उंकार जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. भैरू पिता गंगाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. डालू पिता हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. लोबा पिता हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. हरिकिशन पिता छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. माधवलाल पिता चतर्भुज जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. हीरा पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. शंकर पिता दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. नोसर पत्नी भैरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. शंकर पिता तुलसीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. रतन पिता रामचन्द्र जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. मिठू पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी हडमतिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16. गीता पुत्री रामचन्द्र पत्नी शंकर जाट निवासी गौराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

**अप्रार्थीगण**

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी — प्रार्थी

एक तरफा — अप्रार्थीगण

## –:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

## –:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कचौलिया पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की आराजी संख्या 208, 317, 557, 558, 639, 640, 641, 646, 694, 696, 706, 707, 740, 1047, 1057 कुल किता 15 कुल रकबा 4.47 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 23.02.2021 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अधिवक्ता श्री कृष्णगोपाल झंवर द्वारा प्रार्थी जमनालाल पिता माधु जाति जाट निवासी कचौलिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 557 व 558 की उत्तरी दिशा का पडोसी हूँ व मेरी खातेदारी आराजी संख्या 556 है। जो विभाजन से प्रार्थी के रखीर है उस डिक्री के खिलाफ अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ में चल रही है। जिसके मुकदमा नम्बर 12/2018 आर0ए0ए0 है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वकील प्राथी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी जमनालाल द्वारा अपील चलना बताया है लेकिन इसकी कोई प्रति या सबूत पेश नहीं किया है, कोई स्थगन आदेश भी पेश नहीं किया है केवल मात्र पत्थरगढी को रोकने व अनावश्यक विवाद पैदा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावे। साथ ही प्रकरण संख्या 12/2018 निर्णय दिनांक 22.09.202[illegible] की छायाप्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित अपील में माननीय [illegible] राजस्व प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 122/2012 अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 यथावत रखी जाकर अपील अस्वीकार की गयी। अतः निवेदन है कि पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने बहस दरखास्त सुनी, प्रार्थना पत्र,जवाब प्रार्थना पत्र व माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया। प्रार्थी जमनालाल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बाबत प्रकरण संख्या 12/2018 माननीय न्यायालय से निरस्त हो जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कचौलिया पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की आराजी संख्या 208, 317, 557, 558, 639, 640, 641, 646, 694, 696, 706, 707, 740, 1047, 1057 कुल किता 15 कुल रकबा 4.47 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:14 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official